

आवासन आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

Secy
22/7/24
25/7/24

① CEM
D
25/7/24

EM-111

26/7/24

विषय:- शैक्षणिक संस्थान खोलने हेतु भूमि आवंटन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि हमारी पूर्व में संस्था सेन्ट एन्ड्रयूस पब्लिक स्कूल, 28, 29, अयोध्या नगर, त्रिवेणी नगर के पीछे, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर में संचालित है। उपरोक्त संस्थान की नवीन शाखा के लिए भूमि की आवश्यकता है, जिसका की अनुमानित क्षेत्रफल 4000.00 वर्गमीटर है।

अतः हमारे आवेदन को स्वीकार कर एक नवीन भूमि आवंटित करने की कृपा करें।

For St. Andrews Public School

Substantive
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

DATE - 22/7/2024

Secy-MC-466
25/07/2024

1017
22/7/24

CEM/584
28/7/24

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र

क्र.सं.	विवरण	आवेदक संस्था द्वारा भरा जाना
1-	संस्था/संगठन का नाम	से-ए-इंग्लिश पब्लिक स्कूल शिवाजीपुर
2-	प्राप्ति का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	सुबोधनी सम्मर्सेनी
3-	डाक पता टेलीफोन नं. मोबाइल नं. एन.मैन आई.डी.	28/29 जयसोहया नगर निगम नगर के चौक जोगीपुर काठवास जयपुर • 7568666654 SUBROTHI SARMSENI@gmail.com
4-	भूमि आवंटन का उद्देश्य	शैक्षणिक संस्था स्थापना हेतु (उच्च माध्यमिक विद्यालय)
5-	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	प्रताप नगर/ई.ए.नगर, जयपुर
6-	भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	4000.00 वर्ग मीटर
7-	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण)	680 लॉकर, 11000 स्क्वेट विद्यालय निम्न वर्ग, व अधपम वर्गों के विद्यार्थियों के स्थापित करने के विद्यार्थियों को के शिक्षा में
8-	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण	— नहीं है —
9-	सलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
	i- रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न
	ii- बाईलॉज/रेग्युलेशन	संलग्न
	iii- गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बलेन्स शीट	संलग्न
	iv- संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न
	v- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण)	संलग्न
	vi- रु. 5900/- (पांच हजार नौ सौ रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो राजस्थान आवासन मण्डल के नाम हो।	संलग्न

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य हैं व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/कम्पनी/आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियां आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय (Urban Body) आवंटन निरस्त करने, भवन भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक : 22/7/24

स्थान : Jaipur

नाम व पद

For St. Andrews Public School
Subrothi Saxena
अधिकृत Authorised Signatory

राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटन नीति-2015

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/चैरीटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट

पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं

आवेदक का नाम/पता	SUBROTO SAXENA
शहर/कस्बे/कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	84 P. SUMER NAGAR VISTAR, MANSAROVR
चाही गई भूमि का विवरण (संलग्न नाम/कॉलोनी का नाम उसका नम्बर क्षेत्रफल आदि)	
आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	20/11/1995
संस्था का गत तीन वर्ष का आय व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संलग्न
संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/ किये जा रहे कार्यों का विवरण	शिक्षा का प्रचार, प्रचार
चाही गई भूमि के उपयोग बाबत परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण	संलग्न

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा	
आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत नोट्स	
क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हा तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल	नहीं
संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	
आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवायी गई।	
चही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर	
चही गई भूमि नगर निगम/नगर परिषद/स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर	
आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/सदस्यों/प्रमोटरों का विवरण तथा इनके साथ संबंधी विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण	
यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वितीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण	
आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य	
आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के सम्बन्ध में विवरण	
यदि आवेदक संस्था प्रोपियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा की जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण	
आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत	
क्या प्रश्नगत भूमि बाबत वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा रद्दगन आदेश प्रभावी है।	
अन्य विवरण	

Subroto Saxena
हस्ताक्षर

4

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 454/24/1996-85

यह प्रमाणित किया जाता है कि स. नं. 5223 (नविक रक्षक)

सि. सा. को. म. डि. अ. हा. का. जिला जयपुर का

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 07/04/96 माह अप्रैल सन् एक हजार नौ सौ 96-97 को 07/04/96 से दिया गया।

(स. नं. 5223)
रजिस्ट्रार संस्थाएं

रा. रा. सं. मु. लि., जयपुर-1

Subodh Saxena
for St. Andrews Public School

Authorised Signatory